HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT
FOREST DEPARTMENT

WORKING PLAN FOR THE
FORESTS OF

JOGINDER NAGAR FOREST DIVISION

HIMACHAL PRADESH

FOR THE PERIOD

(2022-23 TO 2031-32)

(VOLUME -II)

CONTRIBUTED BY

SH. RAJIV KUMAR, HPFS

THE THEN DFO

FINALLY SUBMITTED BY

SH. RAKESH KATOCH

DIVISIONAL FOREST OFFICER
CUM

WORKING PLAN OFFICER

Under the guidance of

Chief Conservator of Forests,
Mandi Forest Circle, Mandi, HP.

Chief Conservator of Forests,
(Working Plan & Settlement) HP at Mandi.

336

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001

सत्यमेव जयते

ईमेल/Email:
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177 2657517

क्रमांकः- 13-4(5)/2022/HP-WP/IRO/ 46

दिनांक-31.01.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्मसडेल बिल्डिंग, शिमला
हिमाचल प्रदेश-171002

विषयः- जोगिन्द्रनगर वन मण्डल की कार्य योजना आलेख के संबंध में।

संदर्भः-

(1) मुख्य अरण्यपाल (कार्य योजना एवं बंदोबस्त), हिमाचल प्रदेश के पत्रांक WP/38/J. Nagar F.D./170 दिनांक 27.04.2022

(2) इस कार्यालय के पत्रांक 13-4(5)/2022/एच.पी.-डब्लयु.पी./आई. आर.ओ./315 दिनांक 10.06.2022

(3) मुख्य अरण्यपाल (कार्य योजना एवं बंदोबस्त), हिमाचल प्रदेश के पत्रांक WP/38/J. Nagar F.D./1757 दिनांक 21.10.2022

(4) 27.12.2022 को आयोजित स्थायी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत क्रमांक WP/67/SCC Meetings/2422(a)-22(c) दिनांक 02.01.2023

(5) मुख्य अरण्यपाल (कार्य योजना एवं बंदोबस्त), हिमाचल प्रदेश के पत्रांक WP/38/J. Nagar F.D./2493 दिनांक 12.01.2023

महोदय,

इस कार्यालय को मुख्य अरण्यपाल (Working Plan and Settlement) मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा संदर्भित पत्रों के साथ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु जोगिन्द्रनगर वन मण्डल (अवधि 2022-23 से 2031-32) की कार्य योजना का अंतिम आलेख प्रेषित किया गया था।

उक्त कार्य योजना का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं उसमें किए गए संशोधनों, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2004, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 सपठित रिट याचिका 171/1996 तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के आलोक में इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया।

उक्त कार्ययोजना (अवधि 2022-23 से 2031-32) को भारत सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सम्यक् विचारोपरांत लागू करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. अनुमोदन इस पत्र के जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।
2. उक्त स्वीकृति इस पत्र के जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च, 2032 तक प्रभावी रहेगी।
3. कार्य योजना काल के दौरान प्रबन्धित वन क्षेत्र का भौतिक रूप से सर्वे एवं प्रचलित मानक के सीमा खम्भों के माध्यम से सीमांकन का प्रयास किया जाना चाहिए, जिन पर अक्षांश एवं देशांतर अवस्थिति, तथा forward and backward bearing इंगित हो।

4. विभिन्न न्यायालयों में अतिक्रमण से संबंधित दाखिल वादों, यदि कोई हो, पर निगरानी रखी जाएगी तथा समयबद्ध तरीके से वन क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा।

5. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए नियमों, दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

6. रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुपालन में ग्रीन फेलिंग (हरे वृक्षों के पातन) पर तब तक पाबन्दी रहेगी, जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय तथा/अथवा केन्द्र सरकार से इसकी स्वीकृति न प्राप्त हो जाए।

7. रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ में दाखिल अंतवर्ती आवेदनों के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कड़ाई से पालन किया जाएगा, जब तक कि आदेश लागू है या अन्यथा उपान्तरित न हुआ हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भिन्न कोई भी उपचार या संक्रिया स्थान में रखी जाएगी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत जारी सभी संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

8. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2000 के अनुपालन में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन पुनरुत्पादन, इस कार्य योजना के अंतर्गत निष्पादित किए गए वन पातन के अनुपात में हो।

9. किसी भी प्रकार का निषेध पातन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के अनुमत नहीं होगी। ऐसी किसी भी स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को नियत समय पूर्व ही इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2000 एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 9-7/2012आर.ओ.एच.क्यू, दिनांक 23.02.2018 के निर्देशों के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (के) की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय अधिकृत कमेटी (R.E.C.)का गठन किया गया है जो वन पातन के अनुपात में पुनरुत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विदोहन की उस मात्रा का निर्णय करेगी जिसकी अनुमोदित कार्य योजना के अधीन अनुमति दी जा सके। भविष्य में इस संबंध में जारी केन्द्र सरकार के अनुदेशों/निर्देशों को कड़ाई से पालन किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित कमेटी से अनुमति लेने के बाद ही राज्य सरकार द्वारा पातन किया जाना है। प्रति वर्ष के वन उपज के आंकड़े इस कार्यालय को प्रेषित किए जायेंगे।

11. पुनरुत्पादन को पातन के अनुपात में रखने हेतु वन पुनरुत्पादन संक्रिया के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि का आबंटन किए

बिना कोई भी वन पातन निष्पादित नहीं किया जाएगा। वन पुनरूत्पादन की विफलता या पुनरूत्पादन संक्रिया के निष्पादन में किसी कमी की स्थिति में आगे कोई भी वन पातन आरम्भ नहीं किया जाएगा, जब तक कि विफलता या कमी की पूर्ति न कर ली जाये।

12. 30 डिग्री अथवा उससे अधिक ढाल पर वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यथासंभव नदी के किनारों तथा अपरदन/भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में भी वृक्षों का पातन न किया जाये।

13. वन संरक्षण के समस्त आयामों का नियमित रूप से पालन किया जाएगा।

14. कार्य योजना में उद्धत समस्त उपचारों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा एवं विचलन को न्यून रखने का प्रयास किया जाएगा तथा ऐसे विचलनों को इस कार्यालय द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

15. इस कार्ययोजना में उद्धत् समस्त उपचारों को पूर्ण करने हेतु वांछित वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

16. Control Form के माध्यम से कार्ययोजना के उपचारों के अनुसार किए गए पातन तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत किए गए पातन को पृथक-पृथक अभिलेखों में संधारित किया जाएगा।

17. प्रत्येक वानिकी वर्ष में किए गए पातन एवं पुनरूत्थान के समस्त आंकड़ों को राज्य सरकार 30 नवम्बर तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

18. इस कार्ययोजना का अनुमोदन स्वतः ही वन क्षेत्रों में किसी प्रकार के गैर वानिकी गतिविधि की स्वीकृति नहीं मानी जा सकेगी।

19. वन क्षेत्रों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम स्वीकृति के बिना रेत, बजरी, चट्टान, मृदा आदि का दोहन वर्जित रहेगा।

20. इस कार्य योजना की मध्यावधि समीक्षा 2027-28 में की जानी चाहिए।

21. कार्ययोजना में अब तक प्रत्यावर्तित वन क्षेत्रों का समस्त विवरण अंकित किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र, क्षतिपूरक प्राप्त एवं वृक्षारोपित गैर वन क्षेत्र, शेष क्षतिपूरक वन/गैर वन क्षेत्र का समस्त विवरण प्रस्तुत हो। प्रत्यावर्तन के सापेक्ष प्राप्त गैर वन क्षेत्रों को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कराने की प्रगति का भी उल्लेख किया जाए।

सामान्य शर्तेः-

1. संयुक्त वन प्रबंध/जे.एफ.एम. (JFM) हेतु सूक्ष्म योजनाओं के प्रावधान/उपचार कार्ययोजना के विस्तृत ढांचे/दिशा-निर्देशों से विचलित नहीं होने चाहिए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुरूप होंगे।

2. एतद् द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ पठनीय कार्य योजना के प्रावधानों से कोई विचलन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
3. पुनरूत्पादन के वृद्धि संबंधी आंकड़े(Growth Statistics) उत्तरजीविता का रिकार्ड, कार्ययोजना में समय-समय पर जोड़ा जाएगा।
4. मृत, मृतप्राय और रोगग्रस्त वृक्षों तथा अधिकार ... रियायतों को प्रदान करने के साथ-साथ समस्त अवैध पातन को सम्मिलित करते हुए, सभी प्रकार के पातन का संग्रहण (Compilation) उनके स्टैण्ड वाल्यूम के आंकलन के साथ, उसी Volume Table के अनुसार करना चाहिए, जो संवृद्धि (Growth Stock) के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष कार्यवृतवार और कक्षवार क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और नियंत्रण वर्ष की समाप्ति के दो माह के भीतर अरण्यपाल, कार्य योजना द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार किये गये प्रपत्र में अरण्यपाल कार्य योजना को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार के अपसारण (removal) का सुसंगत वर्ष (Relevant year) की निर्धारित पातन उपज में समायोजित कर दिया जाएगा।
5. गैर काष्ठीय (Non-Timber) वनोपज के सतत् प्रबंध (Sustainable Management) को सुनिश्चित करने के लिए उनके अपसारण (removal) के पहले, अनुमानित मात्रा (Estimated Quantity) का कार्य योजना के अनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा।
6. दुर्लभ, लुप्तप्रायः तथा संकटापन्न प्रजातियों की निकटता से निगरानी (Monitoring) की जाएगी एवं उनके संरक्षण (Protection and Conservation) के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
7. अतिक्रमण हटाने के लिए एक निश्चित योजना बनायी जाएगी एवं रिक्त क्षेत्र में उपयुक्त स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाएगा।
8. मानक संवर्धन संक्रियाओं (Standard Silvicultural Operatio... ... छोड़कर कोई भी पातन (Felling) अन्य कार्यवृतों में नहीं किया जाएगा।
9. युवा-वय समूह (Young age group) के वृक्षों को उनका पर्याप्त पुनरूत्पादन एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जाएंगे।
10. चूंकि ग्रीष्मकाल के दौरान, अग्नि सबसे ज्यादा विनाशकारी कारकों में से एक है, अतः अग्नि योजना की तैयारी को शामिल करते हुए, पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएगी।
11. स्थानीय प्रजातियों का कृत्रिम पुनरूत्पादन करने के लिए प्रयास इस प्रकार किए जाने चाहिए कि इससे जैव-विविधता संरक्षण एवं काष्ठ ईंधन, चारा व ईमारती लकड़ी की मांग की पूर्ति, दोनो उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

12. संवृद्धि स्टाक (Growing Stock) की सेहत को सुधारने हेतु, मानक संवर्धन संक्रियाओं की अनुमति, वन मण्डलाधिकारी या उसके ऊपर के पदाधिकारी के कड़े निरीक्षण के अधीन दी जाएगी, किसी विशेष प्रजाति को प्रथामिकता नहीं दी जाएगी एवं वनों का स्वरूप यथावत (maintained) रखा जाएगा। सुधार पातन हेतु छपान करते समय सुनिश्चित किया जाएगा कि सुधार पातन के पश्चात शेष बचा Growing Stock की उस क्षेत्र के लिए Yield Table के अनुसार होने वाले Growing Stock से कम न रहे।
13. कार्य योजना क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा।
14. राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता में आदेशाधीन दस्तावेजों व परिशिष्टों का कार्य योजना में समावेश किया जाएगा।
15. कार्य योजना में अधिरोपित उपरोक्त सभी शर्तों का वार्षिक पालन प्रतिवेदन (Yearly Compliance Report) 31, मार्च की स्थिति में प्रत्येक वर्ष जून माह में भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आवश्यकतानुसार कार्य योजना के अनुमोदन की समीक्षा, संशोधन अथवा आहरण करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा कार्य योजना में वर्णित समस्त उपचार समसामयिक नीतियों एवं विधियों के संपूरक होंगे।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) प्रकाश नेगी

क्षेत्रीय अधिकारी 31/1/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (HoFF), हिमाचल प्रदेश वन विभाग, टालैण्ड, शिमला-171001, हिमाचल प्रदेश।
2. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव)-सह-मुख्य वन्य जीव वार्डन, हिमाचल प्रदेश वन विभाग, टालैण्ड, शिमला-171001, हिमाचल प्रदेश।
3. मुख्य अरण्यपाल (कार्य योजना एवं बंदोबस्त), हिमाचल प्रदेश वन विभाग, मण्डी-175001, हिमाचल प्रदेश।
4. आदेश पत्रावली।

Dy. No. 1322
Dated 01/02/23

प्रभारी का० यो०

01/02/2023

1/2/2023

3) List of DPFs Notifications

JOGINDER NAGAR RANGE

SNO	NO	Name of Forest	Area in Ha	Notification No
1	O.D.1	Ghatta	45.32	NoFt 29 -241-BE /49 Dt 25.2.1952
2	O.D.3	Bhajrala	104.00	Do
3	O.D.5	Ahjoo	110-07	Do
4	O.D.11	Marhala	244.02	Do
5	O.D.21	Dhanetar	23.47	Do
6	O.D.63	Silh	167.13	Do
7	O.D.67	NainPur	101.97	Do
8	O.D.89	Sayiari	749.07	Do
9	ND.2	Maharur	7.60	Ft.(F)5-43/79 dt 21.3.80
10	ND .4	Ghattagala	6.00	Ft .(F) 5-43 /79 dt 21.3.80
11	ND .6	Ahjoo I	10.00	Ft.(A) 7-4/82dt 17.12.88
12	ND.7	Taramat	12.40	Do
13	ND.8	Sukkar I	116.00	Ft (F)5 -43/79 dt 21.3.80
14	ND .9	Sukkar II	26.00	Do
15	ND .10	Chauntra	3.60	Ft .8 -3/74 SF part II dt 15.10.76
16	ND.12	Marhola I	57.60	8-3/74 SF Part II dt 15.10.74
17	ND .13	Marhola II	177.20	Fts (A) 7-4/86 dt 11.7.86
18	ND.14	Marhola III	17.60	Ft s (A) 7-4/86 dt 11.7.86
19	ND.15	KhalaiNal	39.20	8-3 /74 SF (Part II) dt 15.10.76
20	ND.16	Khalaihar	4.80	Do
21	ND.17	Khaprotu I	39.60	Do
22	ND 18	Khaprotu II	25.20	Fts(A) 7-4 /86 dt 11.7.86
23	ND 19	Ladruin	2.40	8-3/74 S .F (Part-II) dt 15.10.76
24	ND 20	Badyara	13.60	Do
25	ND22	Dhanetar	2.40	Fts (A) 7-4/82 dt 17.12.85
26	ND 23	Khetru	40-00	8-3/74SF (Part –II) dt 15.10.76
27	ND 24	Thathardhar	23.60	Fts (F) 5-43/74 dt 21.3.80
28	ND 25	Bhala Ra Rihada –I	10.80	Fts (F) 7-12/87 dt 19.2.88
29	ND 26	Bhala Ra Rihada-II	24.80	Do
30	ND27	Magroo	36.40	Fts(F0 5-43/79 dt 21.3.80
31	ND 28	Roperi	25.20	Fts (F) 7-12/87 dt 2.9.88
32	ND 29	Banon	173.20	Fts (F) 5-43 /79 dt 21.3.80
33	ND 30	Magroodhar	54.00	Fts (F) 7-12/87 dt 9.2.88
34	ND 31	Jamothi	90.00	Fts (F)5-43/79 dt 21.3.80
35	ND 32	Chalarag	9.20	Fts (F) 7-12 /87 dt9.2.88
36	ND 33	Bhabhuridhar	521.38	Ft (F) 5-43/79 dt 21.3.80
37	ND 34	Kamehar	52.23	Ft (F) 5-43/79 dt 21.3d.80
38	ND 35	Maikehar	14.57	Do
39	ND 36	Drahal I	6.80	Ft (F) 5-43/79 dt 21.3.80

207	ND 718	Daled	5.20	Fts (F) 5-43/79 dt21.3.80
208	ND 719	BaJora	21.60	Fts(A) 7-4/87 dt 9.2.87
209	ND 720	Chilchattara	16.40	Fts (F)5-43/79 dt 21.3.80
210	ND 721	Langeshwar	21.20	
211	ND 722	Chil Gujral	79.20	Fts (F) 5-43/79 dt 21.3.80
212	ND 723	Silhkawar	21.60	
213	ND 724	Kaleheru -I	6.80	
214	ND 725	Kalehru 2nd	7.20	
215	ND 726	Patta	13.60	Fts (F) 5-1/88 dt 9.12.88
216	ND 727	Roapri	15.60	
217	ND 728	Lahari	18.40	Fts (F) 5-1 /88 dt 912.88
218	ND 729	Chhanchhar	25.60	Do
219	ND 730	Katkal	3.60	
220	ND 731	KatkalDadhan	10.40	
221	ND 732	Bhalara	44.00	Fts (F) 5-43 /79 dt 21.3.80
222	ND 733	Gangoti	5.60	
223	ND 734	Barnod	101.20	Fts(F) 5-43 /79 dt20.3.80
224	ND 735	Soun	16.40	Fts (F) 5-43/79 dt 21.3.80
225	ND 736	Soun –PiharBehadaloo –IInd	9.60	
226	ND 737	SonuPiharBehadaloo –Ist	6.00	
227	ND 738	Siun Plantation	12.40	Fts (F) 5-43 /79 dt21.3.80
228	ND 739	Banader	3.60	Do
229	ND 740	Thara	4.00	
230	ND 741	Jalar	7.20	
231	ND 742	Karsal	20.00	Fts (F) 5-1/88 dt9.12.88
232	ND 743	Bhambha-Ra –Nal	50.00	Do
233	ND 744	Dugali	26.40	
234	ND 745	Tameshwari Dhar	59.60	Fts (F) (3) -1/81 dt26.12.81
235	ND 746	PatanuGarnedIst	30.00	Do
236	ND 747	Patanu –GarnedIInd	10.40	Do
237	ND 748	Patanu _GarnedIIIrd	11.20	Fts (F) 5-1/88 dt9.2.88
238	ND 749	Lohla	4.00	
239	ND750	Matehar	14.40	
240	ND 751	Bag	4.00	Fts (F) 5-43/79 dt 21.3.80
241	ND 752	Taur	20.80	Fts(F) 5-1/88 dt9.12.88
242	ND 753	Kafroo	7.20	Do
243	ND 754	Bakarjan	143.20	Fts(A) 7-4/86 dt 11.7.86
244	ND 755	Tansal	57.60	Fts (A) 7-43/86 dt 17.7.86

Dharampur Range

245	ND 423	Murahdhar	943.22	Fts (F) 3-1/81 Dt 26.12.81
246	ND 424	Janitry	137.53	Fts (F) 5-1/80dt 8.8.80
247	ND425	Giun	15.62	Fts (A0 7-4/82 dt 17.12.86
248	ND 426	Janitry (P)	81.81	Fts(F) 5-1 /80 dt 8.8/80
249	ND 427	Mahan	52.05	Fts ((F)3.1/81Dt 26.12.81
250	ND428	Monalgehra	53.38	Fts (F) 5.1/80dt 8.8.80

251	ND429	Klehari	51.08	Do
252	ND 430	Jatehri	27.91	Do
253	ND 431	Kounsal	29.86	Do
254	ND 432	Chouns	102.92	Do
255	ND 433	Narwhal	54.80	Do
256	ND 434	Jol	6.88	Do
257	ND 435	Balhra	6.58	Do
258	ND 436	MathiBanwar	8.50	Do
259	ND 437	Chapanu	12.70	Do
260	ND 438	Langha	43.15	Do
261	ND 439	Khari	26.11	
262	ND 440	Dharangod	9.52	Fts (F) 5-8/85 dt 20.2.86
263	ND 441	Bardana	11.77	Fts (F)5-1/80 dt 18.8.80
264	ND 442	Chhejkhobl	20.12	Do
265	ND 443	Didnoo	43.13	Do
266	ND 444	Bhadyar	63.44	Fts(F)5-8 /85 dt 20.2.88
267	ND 445	Darku	43.77	Fts (F) 3-1 /80 dt 26.12.81
268	ND 446	Jamprol	23.15	Fts (F) 3-1 /81 dt 26.12.81
269	ND 447	Bhai-1	4.26	Do
270	ND448	Bhai -2	53.30	Do
		Kamlah Range		
271	ND 449	Mangleta	11	Fts (F)3-1/81dt 23.12.81
272	ND 451	Ghori-garh	43.47	Do
273	ND 452	Raksuie	75.74	Fts (F) 5-1/80 dt 8.8.80
274	ND 453	Manyoh	10.88	Do
275	ND 454	Jaralnaun	144.76	Do
276	ND 455	Sandhoti	90.35	Fts (F)3-1/81 dt 26.12.81
277	ND 456	Pharsal	16.96	Do
278	ND 458	Kuraloo	89.64	Fts (F) 5-1/81 Dt 26.12.81
279	ND 459	Sarohli	12.82	Fts(F)3-1/81 Dt 26.12.81
280	ND 460	Dodar	295.89	Fts(F) 3-1/81 Dt 26.12.81
281	ND 461	Manuadhar	41.20	Fts (F) 3-1/81 dt 26.12.81
282	ND 462	Sannanurifet	29.50	Fts (F)3-1/81Dt 26.12.81
283	ND 463	Kamlah	25.53	Fts (F)3-1/81Dt 26.12.81
284	ND 466	Khaumbal	14.06	Fts (F)3-1 /81Dt 26.12.81
285	ND 467	Nagaini	32.18	Fts(F)3-1/81Dt26.12.81
286	ND 468	Kolhu-ri-chhri	26.80	Fts(f) 3-1/81 Dt 26.12.81
287	ND 469	Bakri	23.02	Fts (f)/81Dt 26.12.81
288	ND 471	Masot -1	16.5	Fts(f)3-1/81 Dt 26.12.81
289	ND 472	Mashot -2	11.89	Fts (F)3-1/81 dt 26.12.81
290	ND 473	Baradhar	41.71	Fts (F)3-1/81 dt26.12.81
291	ND474	Leba	6.46	Fts (A) 7-4 /82 Dt 17.12.86
292	ND 475	Tandoo-1	79.56	Fts (f) 5-8 /85 dt 20.2.86
293	ND 476	Tandoo -2	14.93	Fts (f) 3-1 Dt 26.12.81
		Tikken Range		
294		Galu	10.12	